>

Title: Need to review the laws governing the rules pertaining to lands owned by people belonging to Scheduled Caste category in the country-laid.

**श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर):** स्वतंत्रता के पश्चात समाज के कमजोर वर्ग (अ.जा.) को सुरक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के नियम-कानून बनाए गए थे। आज वक्त के अनुसार उन सभी नियम कानूनों की समीक्षा किया जाना आवश्यक है। देश में अनुसूचित जाति की अधिकांश जनता भूमिहीन है, यदि किसी के पास 2-3 बीघा भूमि है भी तो वह बंजर है तथा कृषि योग्य नहीं है। अनुसूचित जाति के जिस किसान के पास 40-50 वर्ष पूर्व 2-3 बीघा भूमि थी उन परिवारों की सदस्य संख्या बढ़ने के फलस्वरूप आज प्रति व्यक्ति भूमि गजों या फुटों में आ गई है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति उस भूमि का क्या करें। राजस्थान राज्य के टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 42 में व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही खरीद सकता है। आज भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की क्रय शक्ति अन्य समाज के मुकाबले शून्य है।

आज देश में विशेषकर राजस्थान में उन सामाजिक संस्थाओं को जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 21 के तहत पंजीकृत होकर समाज कल्याण व शिक्षा के प्रचार-प्रसार में प्रयासरत हैं, विशेषकर वे संस्थाएं जो अनुसूचित जाति समुदाय के बालक/बालिकाओं को नःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु ही स्थापित की गई हैं, को अनुसूचित जाति के खातेदारों की भूमि खरीदने, दानस्वरूप या भेंट आदि के रूप में प्राप्त करने में प्रशासन एक मत नहीं है।

मेरा सदन से, केन्द्र सरकार से तथा सभी राज्य सरकारों से आग्रह है कि अनुसूचित जाति के विकास पथ में बाधक सभी नियम कानूनों की समीक्षा की जाये और जहां-जहां आवश्यक हो उनमें संशोधन किया जाये, जिससे अनुसूचित जाति समाज का शैक्षणिक तथा आर्थिक स्तर बढ़ सके। अनुसूचित जाति जो सदैव अन्यों पर आश्रित रही है, को स्वावलंबी बनने का अवसर दिया जा सके।